

कम्प्यूटर परिपत्र सं०- 1314069 दिनांक 28 अक्टूबर, 2013

पत्र सं०-सचलदल-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश -2013-14/ 1727 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर

(सचल दल-अनुभाग)

उत्तर प्रदेश

लखनऊ :: दिनांक :: 25 अक्टूबर, 2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर

समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०)

समस्त ज्वाइंट कमिशनर (वि०अनु०शा०)/(कार्यपालक)

वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

मुख्यालय के पत्र सं०-सचलदल विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश -2013-14 / 1584 / वाणिज्य कर दिनांक 04 अक्टूबर , 2013; कम्प्यूटर परिपत्र सं० 1314057 दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 , द्वारा प्रान्त में प्रान्त के बाहर से आयात किए जा रहे माल के संबंध में व्यवधान रहित मूवमेंट (Hassle Free Movement) तथा ऐसे माल के संबंध में हो रही कर अपवंचना की रोकथान हेतु " ई-संचरण " की व्यवस्था लागू करने के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए हैं ।

उपर्युक्त निर्देशों के द्वारा ई-संचरण की व्यवस्था दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 से लागू किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे । इस मध्य विभिन्न व्यापारिक संगठनों से प्राप्त सुझावों के आधार पर निम्नानुसार संशोधन करते हुए ई-संचरण की उक्त व्यवस्था को दिनांक 20 नवम्बर, 2013 तक परीक्षण पर रखा जाता है -

1- विशिष्ट संचरण नम्बर से संबंधित sms या विशिष्ट संचरण नम्बर की प्रिंटेड कापी , दोनों में से कोई भी, प्रश्नगत माल के प्रदेश की सीमा में प्रवेश के समय से लेकर ऐसे माल के गन्तव्य पर पहुंचने तक साथ रखना अनिवार्य होगा । विशिष्ट संचरण नम्बर को प्रिंट करने की व्यवस्था कर दी गयी है । इसे आयातकर्ता व्यापारी द्वारा स्वयं अथवा यदि उसके द्वारा टोकन नम्बर संबंधित विक्रेता/ट्रांसपोर्टर को प्रेषित कर दिया गया है , तो ऐसे विक्रेता या ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रिंट किया जा सकता है । आयातकर्ता व्यापारी द्वारा भी इसका स्वयं प्रिंट आउट लेकर अपने संबंधित ट्रांसपोर्टर को इसे प्रेषित किया जा सकता है ।

2- व्यापारी अपने एक से अधिक मोबाइल भी उक्त परिप्रेक्ष्य में रजिस्टर करा सकते हैं ।

3- व्यापारी द्वारा वेबसाइट पर मोबाइल रजिस्टर कराने के बाद पासवर्ड हेतु प्रिंट आउट की प्रति व्यापारी सुविधा केन्द्र में प्रस्तुत की जाएगी जहाँ इसकी पावती रसीद उन्हें प्रदान की जाएगी । व्यापारी सुविधा केन्द्र से यह प्रिंट आउट की प्रति उसी दिन संबंधित कर निर्धारण कार्यालय में प्रेषित की जाएगी । इसके निस्तारण की कार्यवाही पूर्व निर्धारित निर्देशानुसार विनिर्दिष्ट समयावधि में निष्पादित की जाएगी ।

4- व्यापारी को उनके रजिस्टर कराए गए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई डी पर विभाग द्वारा जो "पासवर्ड" जारी किया जाएगा उसके द्वारा लागू इन करते हुए फार्म-38 के स्क्रीन पर उपलब्ध विवरणों में प्रश्नगत विक्रेता का नाम भरते ही टोकन नम्बर जैनरेट हो जाएगा । इस टोकन नम्बर को व्यापारी अपने विक्रेता या ट्रांसपोर्टर को भी दे सकते हैं तथा यदि वह चाहें तो स्वयं ही विक्रेता /ट्रांसपोर्टर से समस्त विवरण प्राप्त करते हुए अग्रेतर अन्य विवरण भर सकते हैं । इस प्रकार एक विशिष्ट (specific) संव्यवहार के लिए आयातकर्ता व्यापारी यदि स्वयं माल से संबंधित समस्त विवरण भरना चाहते हैं तो ऐसा वह स्वयं कर सकते हैं और यदि वह चाहें तो इस specific संव्यवहार के लिए जैनरेट किए गए टोकन नम्बर को अपने विक्रेता व्यापारी या ट्रांसपोर्टर को फारवर्ड

mu

करते हुए उन्हे संबंधित विवरण भरने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आयातकर्ता व्यापारी का ही दायित्व होगा कि प्रश्नगत आयात से संबंधित समस्त विवरण सही-सही भरे जायें।

5- ₹0 100 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारी अपनी ब्रांचों के लिए भी Sub-user Password के लिए भी आन लाइन पंजीयन के समय विभागीय वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे व्यापारी विभागीय डेटाबेस में उपलब्ध ब्रांचेज / वेयरहाउस के अनुरूप Sub-user Password हेतु आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन ई-संचरण हेतु मोबाइल नम्बर रजिस्टर कराने के कार्य के साथ ही विभागीय वेबसाइट पर किया जाएगा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसका एप्रूवल मोबाइल रजिस्टर करते समय ही कर दिया जाएगा। इसके पश्चात संबंधित व्यापारी द्वारा विभाग द्वारा दिए गए पासवर्ड से लागू इन करने पर Sub-user Creation के लिंक पर क्लिक किया जाएगा जिससे व्यापारी द्वारा संबंधित शाखाओं के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई डी को अंकित करते हुए Sub-user create किया जाएगा। Sub-user से संबंधित पासवर्ड उक्त मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई डी पर प्रेषित किया जाएगा। Sub-user निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयात हेतु संचरण नम्बर जैनरेट कर सकेगा, जो व्यापारी के एकाउण्ट में प्रदर्शित होगा।

6- यदि किसी एक विक्रेता से किसी व्यापारी द्वारा Bulk Purchase की जा रही है, तब ऐसा आयातकर्ता व्यापारी जैसे ही उस विक्रेता व्यापारी के नाम की प्रविष्टि सहित अपेक्षित फार्म-38 की संख्या का उल्लेख करेगा तो उसे उतने ही टोकन उस विक्रेता से की जाने वाली खरीद के लिए जैनरेट हो जायेंगे और वह तदनुसार इनसे Bulk Purchase कर सकेगा। प्रत्येक डिमाण्ड पर अधिकतम 100 टोकन जैनरेट किए जा सकेंगे जिसकी वैधता टोकन जैनरेट करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिन तक होगी। जिस टोकन का 30 दिन की अवधि में उपयोग नहीं होगा, वह स्वयमेव निष्प्रयोज्य हो जाएगा।

ई-संचरण की उक्त व्यवस्था हेतु Bulk Purchase का अभिप्राय ऐसी खरीद से होगा जो एक बिल/इन्वाइस से की गयी हो अथवा देश के बाहर से इम्पोर्ट की स्थिति में एक बिल आफ एन्ट्री से की गयी हो तथा इससे आच्छादित माल को अग्रेतर अनेक वाहनों से गन्तव्य तक प्रेषित किया जाना हो।

7- Bulk purchase के संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जब ऐसी खरीद देश के बाहर से बिल आफ एन्ट्री द्वारा अथवा बिल/इन्वाइस से रेलवे द्वारा आयात करते हुए अग्रेतर विभिन्न वाहनों से गन्तव्य के लिए परिवहित की जानी हो, उस स्थिति में विभागीय वेबसाइट पर जाकर पहले प्रश्नगत बिल आफ एन्ट्री अथवा बिल/इनवाइस / आर.आर. जैसी भी स्थिति हो, उसका उल्लेख संबंधित माल के कुल परिमाण सहित संबंधित व्यापारी को करना होगा। तत्पश्चात मल्टीपिल वाहनों के विकल्प में अपेक्षित वाहनों की संख्या का उल्लेख किया जाएगा। इसके पश्चात जिस वाहन से जिस भी परिमाण का माल परिवहित किया जाना है, उस परिमाण का उल्लेख किया जाएगा। इस प्रकार उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक वाहन के लिए पृथक-पृथक विशिष्ट संचरण नम्बर जैनरेट हो जायेंगे जिससे ऐसे माल का परिवहन किया जाएगा।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

ml

25-10-2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश

पू0पू0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) माननीय अध्यक्ष, (उ0प्र0) राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, (उ0प्र0) शासन, लखनऊ।
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उ0 प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उ0 प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।

- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उार प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (5) अध्यक्ष/निबन्धक, उार प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ0प्र0।
- (7) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (8) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर, उार प्रदेश।
- (9) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उार प्रदेश।
- (10) समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर, उार प्रदेश।
- (11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (14) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उार प्रदेश।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (17) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि0/असिस्टेंट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य/गाजियाबाद।
- (19) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में।
- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (23) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
- (24) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल स्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0।
- (26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (28) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (29) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (30) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
- (31) पी एन डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0। ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (32) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (33) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद।
- (34) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ।
- (35) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0) के माध्यम से।
- (36) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (37) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद।
- (38) श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (39) श्री मदन मोहन भारतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
- (40) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैक्ट्री आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (41) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (42) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (43) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
- (44) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1, कुँजगली, चौक, वाराणसी।
- (45) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा।
- (46) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 टूक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी सहारनपुर।

- (47) श्री आर०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
- (48) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा०निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (49) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल 30प्र० प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (50) इन्डियन इण्डोएसो, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर ।
- (51) संयोजक, टैक्सेशियों एक्डमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू०पी०, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ ।
- (52) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा ।
- (53) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०प० स्टेट लि० 51-बी उद्योग नगर कानपुर ।
- (54) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (55) श्री दिनेश अरोरा उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (56) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (57) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-29, विधायकनिवास, दारुल सफा, लखनऊ ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, उ०प्र०, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र मील, उपाध्यक्ष उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, 30 बी०एन० रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उ० प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर०डी०सी०-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू०पी०) ।
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उराखण्ड ।
- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू०पी० पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।
- (74) अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
- (75) अध्यक्ष, यू०पी०मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि०) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।
- (76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू०पी०चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार, मेरठ ।

(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय, उत्तर प्रदेश